LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative and other Matters)

Monday, 02 June, 2025/12, Jyeshta, 1947 (Shaka)

No. 20

Sub: Constitution of House Committees of Eighth Legislative Assembly for the year 2025-2026.

Hon'ble Members are hereby informed that the Hon'ble Speaker is pleased to constitute the Committee on welfare of Senior citizens and Committee on Welfare of Transgenders and Persons with Disability for the year 2025-26. The Rules for the Committees shall be as follows :-

I - Committee on Welfare of Senior Citizens:

1. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on the Welfare of Senior Citizens, consisting of not more than nine members, to be nominated by the Speaker:

Provided that a Minister shall not be nominated as a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

2. Functions of the Committee

The following shall be the functions of the Committee -

a. To review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures for Senior Citizens and report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview.

b. To examine, the complaints and representations regarding, -

(i) the implementation and execution of various schemes of the Government for Senior Citizens;

(ii) the functioning of private and government institutions and Departments dealing with the matters of Senior Citizens;

c. To ensure that the funds allotted by the Government for senior citizens are properly utilised for the purpose for which it was intended.

d. To suggest remedial measures for any or all of the above mentioned matters.

e. To examine such other matters as are specifically referred to it by the House or the Speaker.

Contd…2/-

II - Committee on Welfare of Transgenders and Persons with Disability:

1. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on the Welfare of Transgenders and Persons with Disability, consisting of not more than nine members, to be nominated by the Speaker:

Provided that a Minister shall not be nominated as a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

2. Functions of the Committee

The following shall be the functions of the Committee -

a. To review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures for Transgenders and Persons with Disability and report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview.

b. To examine, the complaints and representations regarding, -

   (i) the implementation and execution of various schemes of the Government for Transgenders and Persons with Disability;

   (ii) the functioning of private and government institutions and Departments dealing with the matters of Transgenders and Persons with Disability;

c. To ensure that the funds allotted by the Government for Transgenders and Persons with Disability are properly utilised for the purpose for which it was intended.

d. To suggest remedial measures for any or all of the above mentioned matters.

e. To examine such other matters as are specifically referred to it by the House or the Speaker.

Ranjeet Singh
Secretary

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054

समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

सोमवार , 02 जून, 2025/12, ज्येष्ठ, 1947 (शक)

संख्या - 20

विषय: वर्ष 2025-2026 के लिए आठवीं विधान सभा की सदन की समितियों का गठन।

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2025-26 के लिए 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति' तथा 'ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन कल्याण समिति' का सहर्ष गठन किया है। समितियों के नियम इस प्रकार होंगे:-

I - वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति:

1. समिति का गठन

वरिष्ठ नागरिक कल्याण नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
परंतु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किये जायेंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

2. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे -

क. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा अन्य सुधारात्मक उपायों की प्रगति तथा क्रियान्वयन की समीक्षा करना और अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मामलों के संबंध में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों के बारे में सदन को प्रतिवेदित करना।

ख. निम्नलिखित के संबंध में शिकायतों और अभ्यावेदनों की जांच करना:

(i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और निष्पादन;

(ii) वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को निपटाने वाले निजी तथा सरकारी संस्थानों और विभागों की कार्य प्रणाली;

ग. यह सुनिश्चित करना कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन का समुचित उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए इसे नियत किया गया था।

घ. उपर्युक्त किसी एक या सभी मामलों के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना।

ड़. ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सौंपा गया हो।

...2/- जारी

II - ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन कल्याण समिति:

1. समिति का गठन

ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन कल्याण नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
परंतु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किये जायेंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

2. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे -

क. ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा अन्य सुधारात्मक उपायों की प्रगति तथा क्रियान्वयन की समीक्षा करना और अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मामलों के संबंध में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों के बारे में सदन को प्रतिवेदित करना।

ख. निम्नलिखित के संबंध में शिकायतों और अभ्यावेदनों की जांच करना, -

(i) ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और निष्पादन;

(ii) ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन के मामलों को निपटाने वाले निजी तथा सरकारी संस्थानों और विभागों की कार्य प्रणाली;

ग. यह सुनिश्चित करना कि ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन का समुचित उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए इसे नियत किया गया था।

घ. उपर्युक्त किसी एक या सभी मामलों के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना।

ड़. ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सौंपा गया हो।

रंजीत सिंह
सचिव